विज्ञप्ति (कोटेशन सूचना)

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद कौशाम्बी की संचालित 08 बाल विकास परियोजनाओं हेतु वाहन किराए पर **टैक्सी परमिट** (व्यवसायिक पंजियन) हल्का डीजल बन्द गाडी वाहन सही दशा में 31.03.2018 तक के लिए अनुबंध किया जाना है, जिसके लिए इच्छुक वाहन स्वामी सभी व्ययों को सम्मिलित करते हुए दर प्रति किमी0 सील बंद प्रस्ताव दिनांक **30.05.17 के अपरान्ह 03 बजे** तक अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में जमा कर सकते हैं। एक माह में समस्त व्यय सम्मिलित करते हुंए अधिकतम 18000 रू0 (अठठारह हजार मात्र) प्रति माह भुगतान किया जायेगा। कार्यालय द्वारा जारी प्रारूप पर ही आवेदन स्वीकार होगा। विस्तृत नियम एवं शर्तें तथा प्रारूप किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। वाहन का संचालन एक या एक से अधिक परियोजना में किया जा सकता है। प्राप्त समस्त प्रस्तावों में से एक अथवा एक से अधिक प्रस्ताव को निरस्त करने का अधिकार जिला कार्यक्रम अधिकारी कौशाम्बी को निहित होगा।

जिला कार्यक्रम अधिकारी
कौशाम्बी।

कार्यालय : जिला कार्यक्रम अधिकारी–कौशाम्बी।

पत्रांक : 518-26 / जि0का0अ0 / विज्ञा0 / 2017–18 दिनांक : 19.5.17

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उ0प्र0, लखनऊ।
2– जिलाधिकारी, महोदय, कौशाम्बी।
3– मुख्य विकास अधिकारी, कौशाम्बी।
4– जिला सूचना विज्ञान अधिकारी जनपद कौशाम्बी को इस आशय से कि जनपद के पोर्टल पर अपलोड करने हेतु।
5– जिला सूचना अधिकारी, कौशाम्बी।
6– समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी को इस निर्देश के साथ कि आप अपने स्तर से भी प्रचार प्रसार करते हुए अपनी परियोजना परिक्षेत्र से कोटेशन फार्म निर्धारित तिथि तक डलवाना सुनिश्चित करें।
7– सम्पादक, हिन्दुस्तान दैनिक समाचार पत्र को इस आशय से कि उपरोक्त का प्रकाशन न्यूनतम दर एवं कालम में कर बिल भुगतान हेतु दो प्रतियों में प्रस्तुत करें।
8– कार्यालय प्रति।

जिला कार्यक्रम अधिकारी
कौशाम्बी।